



**Government of India**  
**Ministry of Textiles**  
**OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER**  
7<sup>th</sup> & 8<sup>th</sup> Floor, Patsan Bhawan  
CF Block, Action Area – I  
New Town, Kolkata- 700156

No. Jute (Mktg)/ 106/ 2018

Dated: 20-05-2025

**ORDER**

After giving consideration to factors enumerated in Clause 5 and 6(2) & in exercise of the powers conferred on me by Clause 6(1) (iii) & Clause 5 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner, hereby direct that at no point in time you will hold more than the quantity of raw jute on your own account and / or on account of third parties mentioned in the table below:-

|     | Category of raw jute traders/ dealers/agencies/stokists/Mills                                                                    | Maximum quantity of raw jute to be held                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (a) | (b)                                                                                                                              | (c)                                                         |
| 1   | Balers who are having raw jute Baling Press in the same premises                                                                 | 1500 Quintals                                               |
| 2   | All other categories of traders/dealers/agencies/stockist of raw jute.                                                           | 300 Quintals                                                |
| 3   | Those who have not applied to this office for registration in pursuance of this office Order dated 05-03-2024 within 15-07-2024. | 500 Kilograms                                               |
| 4   | Jute Mills / Manufacturing units of Jute Goods from raw jute                                                                     | Two months' consumption as per the current production rate. |

2. I further direct that you to sell the quantity of raw jute if it is in excess of the quantity mentioned in column (c) corresponding to the category of raw jute traders mentioned at column (b) being held by you within 10(ten) days from the date of this Order and physically deliver the same to the consignee within 31<sup>st</sup> May 2025 and to send a compliance report indicating sale / delivery of the excess quantity of raw jute along with supporting documentary evidence for verification by email (jcoffice@jutecomm.gov.in) immediately. If you are holding stock excess to the above limit, purchase of fresh stock shall be stopped forthwith till stock comes below the above mentioned limit.

3. Raw jute stocked in a single premise irrespective of in different names of such traders/stockists etc will be considered as total single stock for the purpose of interpretation of this Order except when such jute is stocked in a Commercial godown and such traders/stockists are able to produce separate trade licence, separate PAN, separate registration with JC office and also separate rent agreement/receipt for godown rent all together and collectively.

4. If you fail to comply with the provisions of this Order, you shall be punishable under clause 11 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 read with Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 which provides for imprisonment and fine.

5. This Order shall come into force with immediate effect and remain valid till further orders subject to reservation of right to modify the same at any point of time.

6. I further state that this Order shall not be applicable to stocks of raw jute procured by The Jute Corporation of India Ltd.

7. Further, in pursuance of sub-clause (b) and (c) of clause 9(1) of the aforesaid Order, I direct to afford necessary facilities to my authorized representatives state Police officials to enter and search their premises including the godowns and also to inspect their books and other records under their possession with a view to verifying whether or not stocks held by them have been correctly declared or not in response to this Order & also to seize raw jute which he/she has reason to believe to have been stored in contravention to this order & to take any other legal action within provisions of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 & Essential Commodities Act, 1955.

Digitally signed by  
Moloy Chandan Chakraborty  
Date: 20-05-2025 10:14:19  
(Moloy Chandan Chakraborty)  
Jute Commissioner

To:

*(All balers/traders/dealers/agencies/stokists of raw jute)*

*(All Jute Mills /Manufacturing Units of jute products from raw jute)*



भारत सरकार /Government of India

वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles

पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner

पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक/ Patsan Bhawan, CF Block,

सातवा व आठवां तल, एक्शन एरिया-I / 7<sup>th</sup> & 8<sup>th</sup> Floor, Action Area-I

न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown ,Kolkata – 700156

फाइल संख्या :पटसन(विपणन)/106/2018

दिनांक: 20.05.2025

**आदेश**

पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 5 और 6(2) में उल्लिखित कारकों पर विचार करने के बाद और खंड 6(1) (iii) एवं खंड 5 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, एतद्वारा निदेश देता हूँ कि किसी भी समय आप अपने स्वयं के खाते में और/ या (तीसरे पक्ष के खाते में कच्चे जूट की मात्रा) नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित मात्रा से अधिक नहीं रखेंगे:-

|     | कच्चे जूट/व्यापारी/डीलर/एजेंसियां/स्टॉकिस्ट/मिलों की श्रेणी                                                                             | कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा रखी जाएगी      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (क) | (ख)                                                                                                                                     | (ग)                                       |
| 1   | बेलर जिनके पास एक ही परिसर में कच्चा जूट बेलिंग प्रेस है                                                                                | 1500 क्विंटल                              |
| 2   | कच्चे जूट के अन्य सभी श्रेणियों के व्यापारियों/डीलरों/एजेंसियों/स्टॉकिस्टों                                                             | 300 क्विंटल                               |
| 3   | जिन्होंने इस कार्यालय आदेश दिनांक 05.03.2024 के अनुसरण में दिनांक 15.07.2024 के भीतर इस कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। | 500 किलोग्राम                             |
| 4   | जूट मिलें/कच्चे जूट से जूट के उत्पाद से बनाने वाली निर्माण इकाईयाँ                                                                      | चालू उत्पादन दर के अनुसार दो महीने की खपत |

2. मैं आगे निदेश देता हूँ कि आप इस आदेश की तारीख से 10 (दस) के भीतर कच्चे जूट की अतिरिक्त मात्रा को बेचेंगे अगर यह धारित किए जा रहे कॉलम (बी) में उल्लिखित कच्चे जूट व्यापारियों की श्रेणी के अनुरूप कॉलम (सी) में उल्लिखित मात्रा से अधिक होती है और 31 मई, 2025 के भीतर कन्साइनी को उक्त मात्रा की डिलीवरी वास्तविक रूप से करेंगे तथा उसके तुरंत बाद ईमेल ([jcoffice@jutecomm.gov.in](mailto:jcoffice@jutecomm.gov.in)) द्वारा सत्यापन के लिए समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कच्चे जूट की अधिक मात्रा की बिक्री/डिलीवरी का उल्लेख करते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट भेजेंगे। अगर आपके पास उपर्युक्त सीमा से ज्यादा स्टॉक है, तो नए स्टॉक की खरीद तुरंत रोक दें जब तक कि स्टॉक ऊपर उल्लिखित सीमा से नीचे ना आ जाए।

3. एक परिसर में स्टॉक किए गए कच्चे जूट को, चाहे ऐसे व्यापारियों/स्टॉकिस्टों की व्याख्या के भिन्न हो प्रयोजनार्थ एक ही स्टॉक माना जाएगा, बशर्ते की जब उक्त जूट को एक वाणिज्यिक गोदाम में स्टॉक किया जाता है और व्यापारी/स्टॉकिस्ट पृथक व्यापार लाइसेंस, पृथक पैन, पटसन आयुक्त का कार्यालय के साथ अलग पंजीकरण और गोदाम किराए के लिए अलग किराया अनुबंध/रशीद सभी एक साथ और सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं।

4. यदि आप इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाते हैं तो आप पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 11 के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय होंगे, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और किसी भी समय इसे संशोधित करने के अधिकार के तहत अगले आदेश तक वैध माना जाएगा।
6. मैं आगे यह भी निवेदन करता हूँ कि यह आदेश भारतीय जूट निगम द्वारा खरीदे गए कच्चे जूट के स्टॉक पर लागू नहीं होगा।
7. इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के खंड 9(1) के उप-खंड (बी) और (सी) के अनुसरण में, मैं अपने राज्य पुलिस अधिकारियों, अधिकृत प्रतिनिधियों को परिसरों सहित गोदामों में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए तथा इस आदेश के जवाब में उनके द्वारा रखे गए स्टॉक को सही ढंग से घोषित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए उनके कब्जे के अधीन उनके बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा पूर्व में जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के अनुपालन की जांच करने एवं कच्चे जूट को जब्त करने का जिसके बारे में उनके पास यह मानने का कारण है कि उसे इस आदेश या जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के उल्लंघन में संग्रहित किया गया है तथा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निदेश देता हूँ।

मलय चंदन चक्रवर्ती

(मलय चंदन चक्रवर्ती)

पटसन आयुक्त

सेवा में,

(कच्चे जूट के सभी बेलर/व्यापारी/डीलर/एजेंसी/स्टॉकिस्ट)

(सभी जूट मिलें/कच्चे जूट से जूट उत्पाद करने वाले निर्माण इकाईयाँ)